भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3483

(जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।)

"कच्चे खाद्य तेल पर सीमा शुल्क में गिरावट"

3483. **श्री पुट्टा महेश कुमारः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कच्चे खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क में गिरावट के कारण भारतीय पाम ऑयल किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया है;
(ख) क्या सरकार ने कच्चे पाम ऑयल (सीपीओ) की कीमतों को बनाए रखने के लिए परिवर्तनशील आयात शुल्क तंत्र का उपयोग करने पर विचार किया है और यदि हाँ, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने कच्चे पाम ऑयल पर आयात शुल्क में गिरावट के कारण पाम ऑयल के घरेलू विनिर्माण पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव पर विचार किया है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) दिनांक 1 जून, 2025 से कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया। कच्चे खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क में कमी का उद्देश्य घरेलू कृषि को कमजोर करना नहीं है, बल्कि एक संतुलित वातावरण बनाना है जहां घरेलू शोधन बढ़े, उपभोक्ता कीमतें कम हों और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मुआवजा मिलता रहे।
(ख) भारत में खाद्य तेलों पर गतिशील आयात शुल्क संरचना के कुछ नुकसान हैं। चूँकि भारत अपनी लगभग 60% खाद्य तेल आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर है इसलिए घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार दरों से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। वैश्विक कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता के कारण गतिशील आयात शुल्क प्रणाली का उपयोग करने से घरेलू बाजार में कीमतों को प्रभावी ढंग से स्थिर या नियंत्रित कर पाना संभव नहीं है।
(ग) और (घ) हाल ही में कच्चे सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम ऑयल सहित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) में की गई कमी का उद्देश्य खाद्य तेल की कीमतों पर मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के अलावा घरेलू रिफाइनरियों का अधिक उपयोग करना और स्थानीय खाद्य तेल शोधन उद्योग को बढ़ावा देना है।

*****